राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 21/2019 जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00640

1. सुरेश पुत्र नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना।

.... वादी

ब–ना–म

1. हनुमान पुत्र नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना।
2. विमलेश पुत्र नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना।
3. मुकेश पुत्र नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना।
4. चांदकौर पत्नी नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना। (फौत)
5. प्रेमलता पुत्री नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना हाल आबाद त्यौदा तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।
7. रहीश कुमार पुत्र सुरजाराम जाति अहीर निवासी ढाणी पिठौला तहसील बुहाना।

.........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

–: निर्णय :–

दिनांक : 06–10–2022

वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि –

1. वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना के खाता संख्या 38 के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.46 है.खसरा नम्बर 430 रकबा 0.15 है. खसरा नम्बर 635/89 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 636/97 रकबा 0.12 है. खसरा नम्बर 665/356 रकबा 0.71 है., खसरा नम्बर 667/402 रकबा [illegible] खसरा नम्बर 672/447 रकबा 0.08 है. किता 7 कुल रकबा 2.78 है [illegible] वाद के पक्षकारान खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी [illegible] 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:30 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि वादी व प्रतिवादीगण अपनी अपनी भूमि पर हिस्सा व सुविधा अनुसार वाद वर्णित भूमि पर कब्जाकास्त है। लेकिन खातेदारी संयुक्त है। अब तक विधिवत् विभाजन नही हुआं है।

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाही कि–

(क) वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता संख्या 38 के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.46 है.खसरा नम्बर 430 रकबा 0.15 है. खसरा नम्बर 635/89 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 636/97 रकबा 0.12 है, खसरा नम्बर 665/356 रकबा 0.71 है., खसरा नम्बर 667/402 रकबा 0.36 है., खसरा नम्बर 672/447 रकबा 0.08 है. किता 7 कुल रकबा 2.78 है. में वादी का 1/6 हिस्सा का बाहमी बंटवारे के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की ओर से श्री संदीप यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादी बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की ओर से प्रतिदावा प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि– वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता संख्या 38 के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.46 है.खसरा नम्बर 430 रकबा 0.15 है. खसरा नम्बर 635/89 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 636/97 रकबा 0.12 है, खसरा नम्बर 665/356 रकबा 0.71 है., खसरा नम्बर 667/402 रकबा 0.36 है., खसरा नम्बर 672/447 रकबा 0.08 है. किता 7 कुल रकबा 2.78 है. भूमि में प्रतिवादी 1, 3, 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा का बाहमी बंटवारे के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 पेश की।

प्रकरण में दिनांक 17–07–2019 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी किये जाने पर तहसीलदार बुहाना के पत्र क्रमांक 684 दिनांक 12–03–2020 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुयें। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति पर पक्षकरान को सुना गया। बाद सुनवाई पुनः संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसी दौरान दिनांक 11.03.2022 को प्रार्थी रहीश कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत करने पर बाद स्वीकार किया गया। प्रार्थी रहीश कुमार को वाद में प्रतिवादी संख्या 7 बनाया गया। संशोधित टाईटल पेश किया गया। प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 7 की ओर जबाव दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिदावा निम्नानुसार रहा है कि–

1. यह कि वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 665/356 रकबा 0.71 है. में प्रतिदावाकर्ता का 2/5 हिस्सा है। जिस पर प्रतिवादी सं. 7 काबिज है एवं अपनी खातेदारी की भूमि को शान्ति से बिना किसी बाधा के कास्त करता आ रहा है। यह भूमि सड़क के पास होने के कारण प्रतिवादी सं. 7 इस भूमि में अपना 2/5 हिस्सा इसके मूल्यांकन एवं उपयोगिता के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन इसका खाता संयुक्त होने से प्रतिवादी सं. 7 को अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करने इसका अन्यत्र उपयोग करने में भारी परेशानी है एवं रुपान्तरण करवाने सीमा चिन्ह बनाने में असुविधा होती है जिससे प्रतिवादी सं. 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:30 IST
Reason: SelfAttested

को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकता है इसलिए प्रतिवादी सं. 7 के लिये यह प्रतिदावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. यह कि भूमि ख0न0 665/356 में प्रतिदावाकर्ता प्रतिवादी सं. 7 का 2/5 हिस्सा है यह भूमि सड़क के पास है प्रतिवादी सं. 7 अपने 2/5 हिस्सा को अच्छी में सें अच्छी व बुरी में से बुरी के रुप में प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. यह कि प्रतिदावा के लिए आधार विवाद प्रतिवादी सं 7 भूमि ख0न0 665/356 का खातेदार होन एवं इसमें प्रति. सं. 7 का 2/5 हिस्सा होने वादी द्वारा यह दावा पेश करने एवं इस भूमि का इसके मूल्यांकन एवं उपयोगिता के अनुसार विभाजन नही होने से पैदा हुआ है अतः प्रतिदावा अन्दा मियाद है।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम कलाखरी मे स्थित है जो न्यायालय श्रीमानही की हदूद मे है इसलिए यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।
5. यह कि प्रतिदावा खाता विभाजन के लिए 1 रुपये कोर्ट फीस नियत है इसलिए प्रतिदावा 1 रुपये कोर्ट फीस पर सेवा में पेश है।
6. यह कि प्रतिदावा के समर्थन मे प्रतिवादी का शपथपत्र पेश है।

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन है

(क) कि वाके ग्राम कलाखरी तह. बुहाना स्थित भूमि ख.न. 665/356 रकबा 0.71 है. में प्रतिवादी सं./प्रतिदावाकर्ता का 2/5 हिस्सा भूमि का अच्छी में सें अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि उसके मूल्याकंन एवं उपयोगिता के अनुसार विभाजन मे दी जाकर सीमाकंन एवं मापन कर खाता विभाजित कर लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करे। एवं विभाजन में आने वाले रकबा पर प्रत्येक खातेदार का स्वतन्त्र कब्जा कास्त करवाये जाने की कृपा करे।

(ख) कि प्रतिदावा प्रति. सं. 7 डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो प्रति. सं. 7 प्राप्त करने का वाजिब हकदार हो प्रति. सं. 7 को दिलवाये जाने की कृपा करे।

वाद को पुनः दिनांक 06–06–2022 को संशोधित डिक्री जारी कर तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार के पत्र क्रमांक 2167 दिनांक 18–08–2022 से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री लक्ष्मीकान्त भारद्वाज एडवोंकेट द्वारा पुनः आपत्ति पेश की गई। आपत्ति पर वादी द्वारा जबाव पेश किया गया। आपत्ति पर पक्षकरान को सुना गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में दो बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये दोनो बार ही प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। चूंकि प्रकरण खाता विभ[illegible] है तथा खाता विभाजन कास्तकार का कास्तकारी अधिकार है। वि[illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्राप्त हुये है। तहसीलदार बुहाना द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं राजस्व संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन [illegible]व तैयार किये गये है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 , 3 प्रकरण में देराने करने की नियत से बार –बार आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है। उभय पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:30 IST
Reason: SelfAttested

को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–08–2022 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

न्यायालय वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कलाखरी स्थित भूमि वर्तमान खाता संख्या 38 के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.46 है.खसरा नम्बर 430 रकबा 0.15 है. खसरा नम्बर 635/89 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 636/97 रकबा 0.12 है, खसरा नम्बर 667/402 रकबा 0.36 है., खसरा नम्बर 672/447 रकबा 0.08 है. किता 6 कुल रकबा 2.07 है. व खाता संख्या 240 के खसरा नम्बर 665/356 रकबा 0.71 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 06–10–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:30 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.
मुकदमा नंम्बर– 21/2019
निणय दिनांक :– 06–10–2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00640

सुरेश पुत्र नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना।

.... वादी

ब–ना–म

1. हनुमान पुत्र नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना।
2. विमलेश पुत्र नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना।
3. मुकेश पुत्र नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना।
4. चांदकौर पत्नी नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना। (फौत)
5. प्रेमलता पुत्री नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना हाल आबाद त्यौदा तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।
7. रहीश कुमार पुत्र सुरजाराम जाति अहीर निवासी ढाणी पिठौला तहसील बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत –खाता विभाजन,

वादी की ओर से **श्री अशोक कुमार यादव/मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति मे तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की ओर से श्री सन्दीप यादव एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री प्रदीप सैन / लक्ष्मीकान्त भारद्वाज एडवोकेट तथा प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की उपस्थिति में में इस वाद में आज तारीख **06–10–2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कलाखरी स्थित भूमि वर्तमान खाता संख्या [illegible] खसरा नम्बर 84 रकबा 0.46 है. खसरा नम्बर 430 रकबा 0.[illegible] /80 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 636/97 रकबा 0.12 है. खसरा नम्बर [illegible]/402 रकबा 0.36 है., खसरा नम्बर 672/447 रकबा 0.08 है. [illegible] 2.07 है. व खाता संख्या 240 के खसरा नम्बर 665/356 रकबा 0.71 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:30 IST
Reason: SelfAttested

से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06–10–2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:30 IST
Reason: SelfAttested